नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम / इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
		सीताराम वगै० V/S जोहड़े वगै० T.S.	
	20	~~वकीलों के कन्डोलेंस~~ covid-19 के कारण पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 20/7/20 को पेश हो।	
	20	~~वकीलों के कन्डोलेंस~~ covid-19 के कारण पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 25/8/20 को पेश हो।	
	0	वकील प्रार्थीगण उप० पुकार कराई वास्ते बहस दिनांक 28/8/20 को पुकारे गये। पुनः बहस एवं पत्रावली सुनी गई। पत्रावली दिनांक 8/9/20 को वास्ते आदेश पेश हो।	
	8/9/20	वकील प्रार्थीगण उप० बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दाखिल रहे।	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी— श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
34 / 18	अस्थायी निषेधाज्ञा	25.10.18	08.09.2020

1. सीताराम ।
2. रामनारायण । पि0 भोरया जातिगण मीना निवासी दलापुरा तहसील सपोटरा जिला
3. हरेत । करौली राजस्थान।
4. हरिमोहन ।
5. सुगनी बेवा रामहेत
6. श्रीपाल । पि0 रामहेत जातिगण मीना निवासी दलापुरा तहसील सपोटरा जिला
7. भरत । करोली राजस्थान।
8. सुरेश ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. लोहड़े पुत्र झण्डू मीना । जातिगण मीना निवासी दलापुरा तहसील सपोटरा जिला
2. वन्टी पुत्र लोहड़े मीना । करौली राजस्थान।
3. हल्की पत्नि लोहड़े ।
4. कारन्ती पत्नि बन्टी मीना ।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थितः— श्री कमरपाल मीना एड0 वकील प्रार्थीगण।
श्री शेरसिह एड0 वकील प्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम नानपुर तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 166 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा प्रार्थीगण की सेपरेट खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिससे अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है ना ही किसी प्रकार का तालोकात है। उक्त आराजी मे दिनांक 14.10.2018 को अप्रार्थीगण ने करीबन 10—15 फिट भूमि पर जबरन कब्जा करके मकान की नीम खुदाई कर मकान का निर्माण कार्य चालू कर दिया है। प्रार्थीगण के मना करने पर अप्रार्थीगण ने एक नही मानी हाथ जोड़ कर काफी समझाया। अप्रार्थीगण झगड़ा फसाद करने पर आमादा हो गये और एलानिया कहने लगे कि हमने तुम्हारी उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया है तुम्हारे मन मे आये जो करे तथा हम मकान बनाकर रहेगें। अप्रार्थीगण लट्ठ व ताकतवर व्यक्ति है। प्रार्थीगण लड़ाई लड़ने मे सक्षम नही है। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

बहस वकील प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी फोटो प्रति सम्वत् 2071—74 ग्राम नानपुर तहसील सपोटरा से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण सेपरेट खातेदारी की भूमि होना दर्ज रिकार्ड है जिससे अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील उपस्थित न्यायालय नही होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये तथा ना ही कोई अपना पक्ष रखा है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थीगण किस प्रकार उनके पक्ष मे सुविधा का संतुलन हो। इसलिए सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नही किया जाता है तो अप्राथीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा,जिला–करौली

Scanned with CamScanner

पक्का निर्माण कर सकते है इस कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे आराजी खसरा नं0 166 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम नानपुर तहसील सपोटरा मे प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनाक 08.09.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with CamScanner